वार्षिक प्रतिवेदन

2017-18

आपका सहयोग ! हमारा प्रयास !!

MULTI ART ASSOCIATION (MAA)

Regd. Office :- Maa Bhawan Panki, Road, Redma, Daltongnaj, Palamu

Head office / Mailing Address :– H.No. – 153/A/1, Street :- Budhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj, Palamu, Jharkhand-822102, Mob. No.- 09431193202, 09852910778

E-mail Id :- maa.palamu@gmail.com, www.maango.org

वार्षिक प्रतिवेदन 2017–18

–: संस्था का विजन (दृष्टि) :–

दलित–आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को षिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ कर एक टिकाऊ विकास की परिकल्पना करना, जिससे कि पर्यावरण, भाषा–संस्कृति, रीति–रिवाज, समाजिक संरचना, मौलिक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके और स्वस्थ्य समाज की स्थापना किया जा सके।

संस्थागत कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मल्टी आर्ट एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 21, 1860 के तहत् निबंधित एक गैर सरकारी संस्था है। संस्था निर्माण काल से ही पलामू प्रमण्डल सहित पूरे झारखंड में समाज के दबे कुचले वर्ग के लिए काम करती आ रही है। उनके हक व अधिकार के प्रति लोगों को सजग कर रही है। इसके साथ ही संस्था सरकार द्वारा समन्वय स्थापित कर सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा उसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। पलामू प्रमंडल जैसे सुखाग्रस्त इलाकों में आजीविका के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

उसी संघर्ष से निबटने के लिए संस्था द्वारा आजीविका सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है। उन्ही प्रयासों के तहत् पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले के मनिका, बरवाडीह के गारू और महुआडांड प्रखंड के करीब 10 गांवों में लाह की खेती को बढ़ावा देने उदेश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लेकर मनिका व बरवाडीह के 163 गांवों में सीधे तौर पर सीएफटी कार्य से जुड़ी है, इसके अलावे लातेहार हेरहेंज सहित अन्य प्रखंडों व गढ़वा के चिनियां, भंडरिया,बड़गड प्रखंड, रमकंडा और रंका प्रखंड तथा पलामू के चैनपुर, पांकी, मनातू, तरहसी लेस्लीगंज व सतबरवा प्रखंड में मनरेगा के साथ–साथ ग्राम सभा सशक्तिकरण, वन अधिकार कानून 2006, खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संस्था जिला से लेकर राज्य स्तर पर जन संवाद स्थापित कर बेहत्तर विकास का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के अधिकार को सुनिश्ति तथा उनके अंदर नेतृत्व लाने के उदेश्य से संस्था द्वारा यंग व्यूमन लीडरशीप कार्यक्रम की शुरू किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा, यौन शोषण एवं अन्य होने वाले भेद भाव पर भी कार्य कर रही है। इसके साथ संस्था पलामू प्रमंडल अधिकार आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू किया गया। संस्था जन मुद्दों को मीडिया व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समय–समय पर उजागर करते रही है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रचार कर उनके प्रावधानों को बजट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाकर बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते आ रही है।

संस्था का प्रोफाइल

- संस्था का नाम : मल्टी आर्ट एसोसिएशन।
- निबंधित कार्यालय : माँ भवन, पाँकी रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड)
- पत्रचार एवं/मुख्य कार्यालय : म0 सं0 153/अ/1, मुहल्ला– बुधनडीह, सुदना नियर बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड–822102
  E-mail-maa.palamu@gmail.com
  www. maango.org
- संस्था का निबंधन : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860/177/2007–08
- निबंधन संख्या : 177/2007–08
- पैन संख्या : **AACTM9265D**
- **12A** प्रमाण पत्र संख्या : **12A-79/2010-11/2153-60**
- NGO-Darpan (Uniue id of Vo/NGO) : JH/2018/0184930
- **FCRA No.** : 337790038
  FCRA बैक खांता संख्या :– 30774140433
  शाखाः–भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
- सामान्य बैंक खाता संख्या : 1. खाता संख्या–32401106459
  शाखाः– भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
  2. खाता संख्या–**12588104000016940**
  शाखाः– **IDBI Bank ,** डालटनगंज षाखा।
- खाता संचालन : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

संस्था की कार्यकारिणी समिति

क्र.सं.	नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	पद
1.	जितेंद्र सिंह	ग्राम–चेतता, पो. रॉकी कला थाना–मनिका, जिला–पलामू	आई.टी.आई	अध्यक्ष
2.	मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा	नियर, बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड	एम.ए.आर.डी.	सचिव
3.	जेम्स हेरेंज	ग्राम–चीरो, पो0 + थाना–चंदवा जिला– लातेहार	आई.टी.आई	कोषाध्यक्ष
4.	सुमंती कुजूर	ग्राम–सरनाडीह, पो0–बंसकरचा थाना–महुडडांड, लातेहार	आई. ए	सदस्य
5.	नीलम खलखो	ग्राम–तम्बोली नवाडीह पो0–बसकरचा थाना–महुआडांड, लातेहार	बी.ए.	सदस्य
6.	संतोष कुमार	ग्राम–बारालोटा, पो0 जीएल कॉलेज, डालटनगंज, पलामू	बी.कॉम	सदस्य
7.	वीरेंद्र कुमार पासवान	ग्राम–भुड़वा, पो0 कांकेकला थाना–पाटन, जिला पलामू	ग्रेजूएट	सदस्य

संस्था का कार्यक्षेत्र

क्र.सं	जिला	प्रखंड	गांव की संख्या	कार्यक्रम
1.	लातेहार	बरवाडीह, मनिका, गारू और महुआडांड, बारियातू, हेरहंज	180	सीएफटी, वनाधिकार, नरेगा सहायता केंद्र, लाह की खेती, जनसंगठन व नेटवर्क कायर्क्रम का संचालन
2.	पलामू	मनातू, चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, डालटनगंज, लेस्लीगंल, पांकी और तरहसी	50	लाह की खेती, वनाधिकार कानून, शिक्षा अधिकार कानून में 25 प्रतिशत बजट कैंपने के साथ जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम
3.	गढ़वा	मेराल व भंडरिया, बड़गड़, चिनियां, रंका, रमकन्डा	30	वनाधिकार, ग्रामसभा सशक्तिकरण, लाह की खेती, जन संगठन व नेटवर्क कार्यक्रम

संस्था के पास मानव संसाधन

मानव संसाधनन	पुरूष	महिला	कुल	भौतिक संसाधन	संख्या
कार्यालय स्टॉफ फुल टाईम	2	1	3	कार्यालय भवन (मनिका एवं बरवडीह, डालटनगंज, टेक सेंटर)	4
फिल्ड स्टॉफ फुल टाइम –26 पार्ट टाईम – 30	36	20	56	डिजीटल कैमरा	4
कॉडिनेटर	3	2	5	कम्प्युटर व लैपटॉप	4+6
इंजिनियर	4	0	4	विडियो कैमरा	1
				मोटरसाइकिल	2
				टैब	10

संस्था के नेटवर्क के माध्यम से चलाये जाने वाले

क्र.सं.	कार्यक्रम	नेटवर्क	मुद्दा	क्षेत्र
1	TSP and SCSP बजट कैंपेन	एन.सी.डी.एच.आर, नई दिल्ली	दलित व आदिवास उप योजना	पलामू, गढ़वा, लातेहार व झारखंड के अन्य जिले
2	वन भूमि पर सामुदायिक व व्यक्ति पट्टा का लेकर कैंपेन	झारखंड वनाधिकार मंच व मंथन युवा संस्थान कल्याण विभाग झारखंड, सरकार	वनाधिकार कानून के प्रावधान की जानकारी व जागरूकता	चतरा, गढ़वा व लातेहार
3	मनरेगा व भोजन के अधिकार अभियान का लेकर जनसंवाद व जागरूकता कार्यक्रम	नरेगा वॉच, झारखंड भोजन के अधिकार अभियान, झाखंड	मनरेगा व भोजन के अधिकार कानून व सामाजिक के सुरक्षा योजनाएं	पलामू, गढ़वा और लातेहार
4	महिला सषक्तिकरण एवं महिलाओं के मुद्दे	AALI	महिला सषक्तिकरण, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों भेदभाव के प्रति कार्यक्रम	पलामू, गढ़वा और लातेहार
5	मजदुरों के हक अधिकारों हेतू कार्यक्रम	SLD	मजदुरों के हक अधिकारो साथ ही उनके समस्याओं के निराकरण संबंधी कार्यक्रम	पलामू, गढ़वा और लातेहार

संस्था द्वारा जीविकोपार्जन व अन्य मुद्दे

- नरेगा सहायता केन्द्र के माध्यम से मनरेगा के बेहत्तर क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार व वनाधिकार सहित सभी अधिकार के लिए बने कानूनों का प्रचार–प्रसार, हस्तक्षेप व जनवकालत।
- किसान समूहों के माध्यम से लाह की खेती।
- श्री विधि से धान की खेती
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- गांव व स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने की परिकल्पना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के लिए पहल।
- प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गांव का बेतहर प्लानिंग व क्रियान्वयन ।

दाता संस्था व एजेंसी से संबंध

- SPWD (NRLM- CFT-MGNREGA), ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार।
- GGF (Golbel Green Fund)
- FAT, New Delhi (with OK Fundation)
- UUHIP
- Jharkhand Vandhikar Manch
- Aali
- SLD and Forest Department

संस्था द्वारा चलाये जाने वाले कार्यक्रम व गतिविधियां

CFT- MGNREGA कार्यक्रम

कार्यक्रम का उदेश्य :— ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, JSLPS तथा एस.पी.डब्लू.डी के सहयोग से लातेहार जिला के मनिका एवं बरवाडीह प्रखंड में NRLM-CFT-MGNREGA कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का मुख्य उदेश्य इस प्रकार है :—

- प्रकृतिक संसाधन प्रबंधन पर केन्द्रित मनरेगा योजनाओं का ग्राम सभाओं से पारित कर क्रियान्वयन करना।
- परियोजना अवधि के समाप्ति तक सभी रोजगार के इच्छुक दलित व आदिवासी परिवारों को 75 दिन रोजगार सुनिश्चित करना।
- 25 प्रतिशत अतिरिक्त आय वृद्धि सुनिश्चित कराना यह मनरेगा मजदूरी के अतिरिक्त मनरेगा परिसंपत्तियों के टिकाऊ निर्माण से होगी।
- कम से कम 75 प्रतिशत मजदूरी भुगतान मस्टर रॉल समाप्ति की तिथि के 15 दिनों के अन्दर सुनिश्चित कराना।

उदेश्य हेतू कार्यक्रम की गतिविधियां :—

- मनरेगा मजदूरों के साथ बैठक।
- स्वयं सहायता समूहों के साथ बैठक व मनरेगा को लेकर चर्चा।
- महिला मेठों के चयन व प्रशिक्षण में प्रखंड प्रशासन को मदद।
- मनरेगा मजदूर और प्रखंड प्रशासन के समन्वय स्थापित करना।
- योजनाओं के चयन व प्लानिंग में प्रखंड प्रशासन को मदद करना।
- मजदूर ग्रुप को गठन व उनके साथ मनरेगा के प्रावधानों को बताना।
- जॉब कार्ड, काम मांग, मजदूरी भुगतान से सबंधित होने वाली समस्याओं के लेकर प्रखंड प्रशासन व मजदूर के बीच समन्वय स्थापित कर समस्याओं को निपटरा करना।
- मनरेगा प्रावधानों को लेकर मजदूरों के बीच प्रचार—प्रसार करना।
- योजनाओं का सत्यापन और क्रियान्वयन को बेहतर करने में मदद करना।
- मनरेगा योजना को लागू करने में तकनीकी मदद को पूरा करना।

गतिविधियों का परिणाम

क्रम सं0	संपन्न गतिविधियाँ	परिणाम		
		मनिका	बरवाडीह	कुल
1.	पंजीयन हेतु आवेदित परिवार सं0	314	103	417
2.	बैंक खाता खुले	56	33	89
3.	कार्य मांग श्रमिकों की सं0	5925	2889	8814
4.	श्रमिक सं0 जिन्हे कार्य आवंटित किया गया	3735	2879	6614
5.	बेरोजगारी भत्ता हेतू आवेदन	131	0	131

मनिका

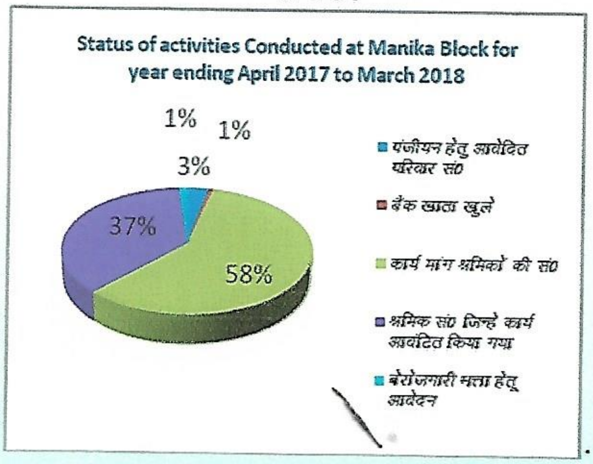

बरवाडीह

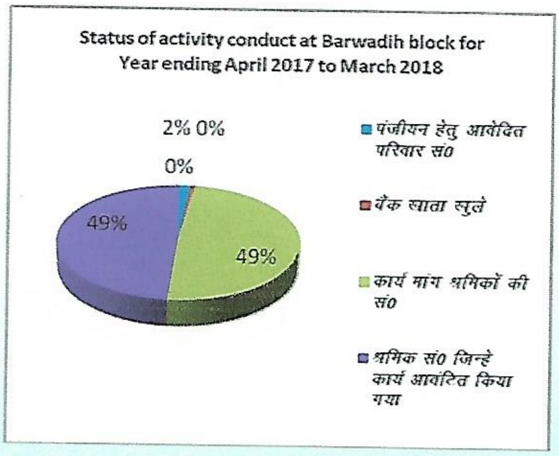

मनिका और बरवाडीह में सीएफटी कार्यक्रम पर एक नजर

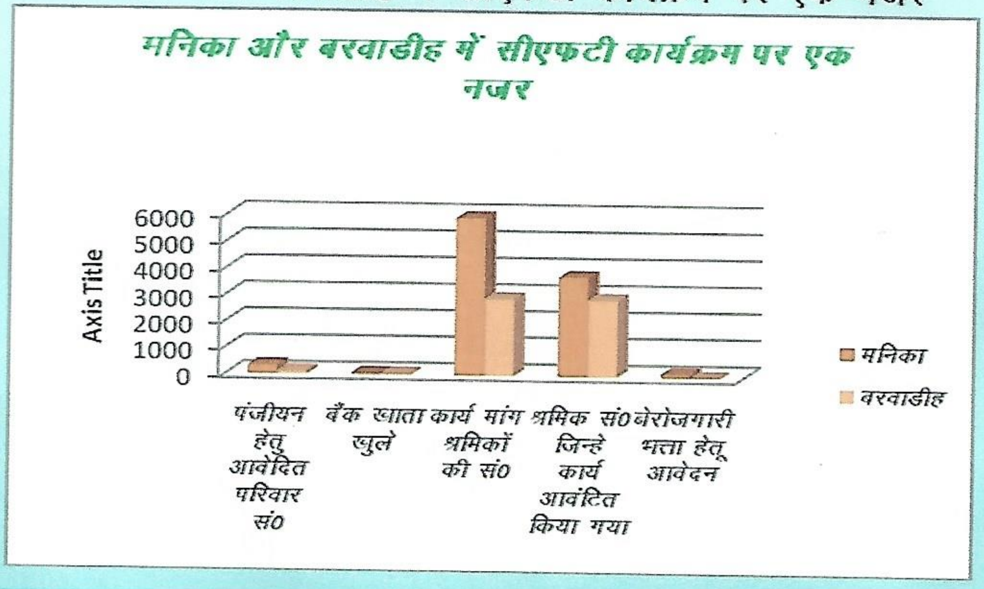

सीएफटी कार्यक्रम अंतर्गत आजीविका को लेकर आम बागवानी :— मनरेगा से आजीविका को बेहतर करने तथा पर्यावरण तथा गहराते जल संकट को देखते हुए झारखंड सरकार ने आम बागवानी की शुरूआत की जैसे योजनाओं की शुरूआत की। इस योजना को मॉनेटरिंग करने के की जिम्मेवारी सीएफटी कार्यक्रम को दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत लातेहार जिला के मनिका व बरवाडीह प्रखंड में करीब 100 एकड़ में आम बागवानी योजनाओं को ग्राम सभा से पारित कर आदिवासी व दलित समुदाय के लोगों के साथ शुरू किया गया है। मनिका प्रखंड दुन्दू, जान्हो, जुंगुर, पल्हेया, वहीं बरवाडीह प्रखंड के बेतला (अखरा), बरवडीह, मंगरा, छिपादोहर आदि गांवों में अभिसरण द्वारा आम का आम बगिचा लगाने का प्रयोग किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस आम बागवानी में उस गांव लोग ही मनरेगा के अंतर्गत काम करते हैं। इसमें महिलाओं को काम करने की प्राथमिकता दी जाती है। अब तक मनिका और बरवाडीह प्रखंड में कराये गये आम बागवानी का विवरण।

Block	No of Village	No. of schemes	No. of beneficiaries	Area covered (in Acre)	Total Expenditure in Labour (INR)	Plants transplanted (No.)
BARWADI	5	5	21	17.66	36.26 Lakh	1662
Manika	10	10	48	50	90 Lakh	5486
Total	15	15	69	67.66	126.26 Lakh	7148

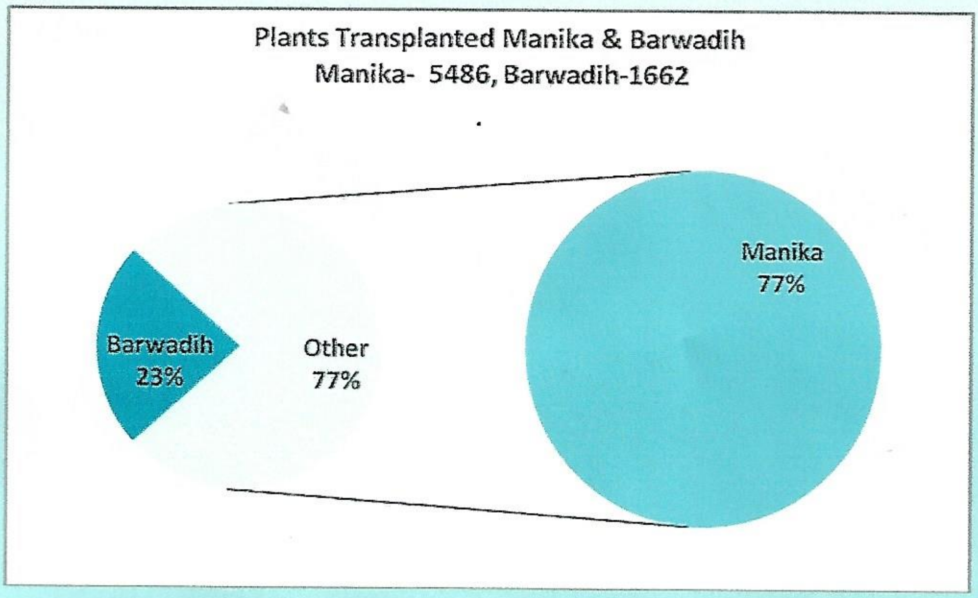

सीएफटी कार्यक्रम की गतिविधियों को फोटोग्राफ

Formation of group under MNREGA for effective functioning and welfare of labours

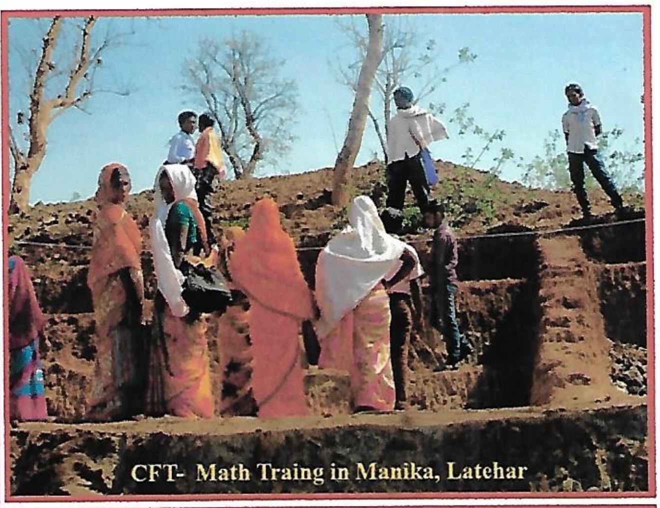

CFT- Math Traing in Manika, Latehar

Bank Account Opning Camp for MGNREGA Labours in Barwadih Block

CFT Staff Traing in Ranchi

Computer Training Mukhiya and Panchayt Sewak For FTO in Barwadih, Latehar

Computer Training Mukhiya and Panchayt Sewak For FTO in Manika, Latehar

Group Leader Training

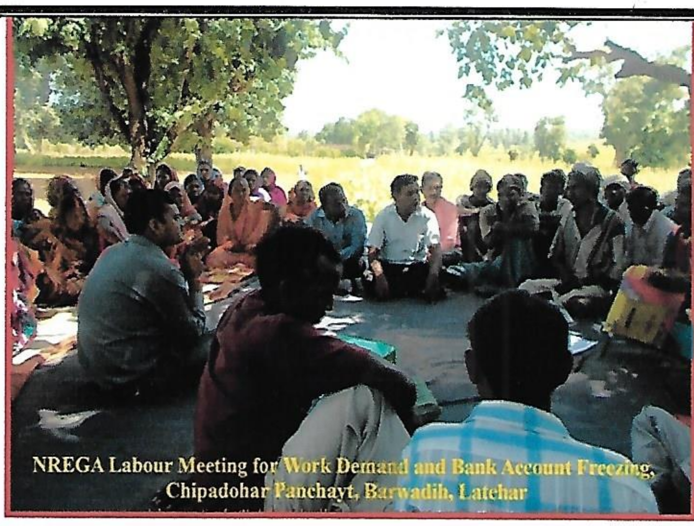
NREGA Labour Meeting for Work Demand and Bank Account Freezing, Chipadohar Panchayt, Barwadih, Latehar

CFT- Meeting with PRI and CFT Meeber in Manika

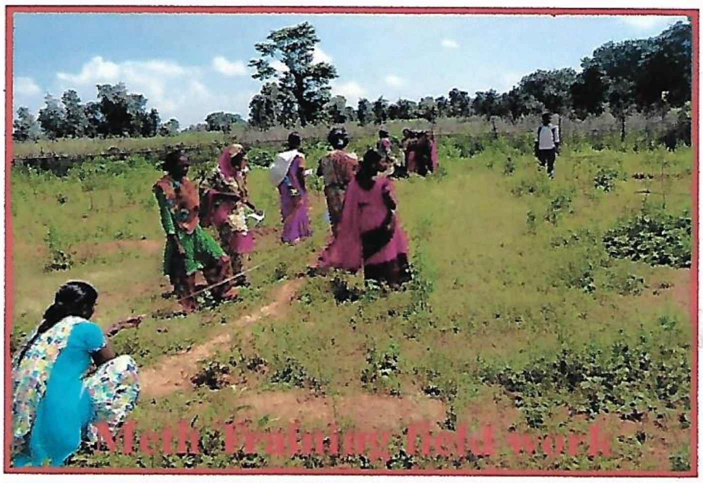
Meth Training field work

NREGA Help Center Meeting with NREGA Labour in Manika, Latehar

पंचायत छिपादोहर के हसराज टोला में भीओ के साथ बैठक करते सीएफटी मेंबर

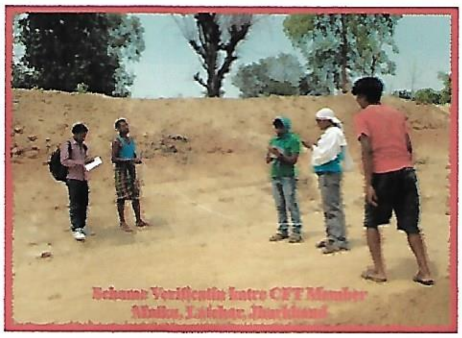
Scheme Verificatin Intro CFT Member Manika, Latehar, Jharkhand

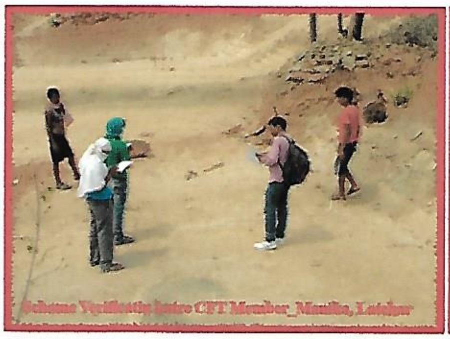
Scheme Verificatin Intro CFT Member_Manika, Latehar

SHG Meeting in Manika, Latehar

आम बगावानी में अभिसरण :– आम बागवानी योजना में दूसरे विभागों द्वारा अभिसरण किया जा रहा है, इस आम बागवानी के पैच में डोभा और छोटा तालाब, कुआं 30 X 40 मॉडल भी बनाया गया है। इसमें मतस्य विभाग द्वारा मच्छली पालन भी किया गया। वहीं कृषि विभाग द्वारा लाभुकों को कृषि तकनीक का प्रषिक्षण दिया गया था, ताकि बेहतर तरीके से आम बागवानी के योजना का संचालन किया जा सके। फोटो के माध्यम आम बागवानी की गतिविधियां :–

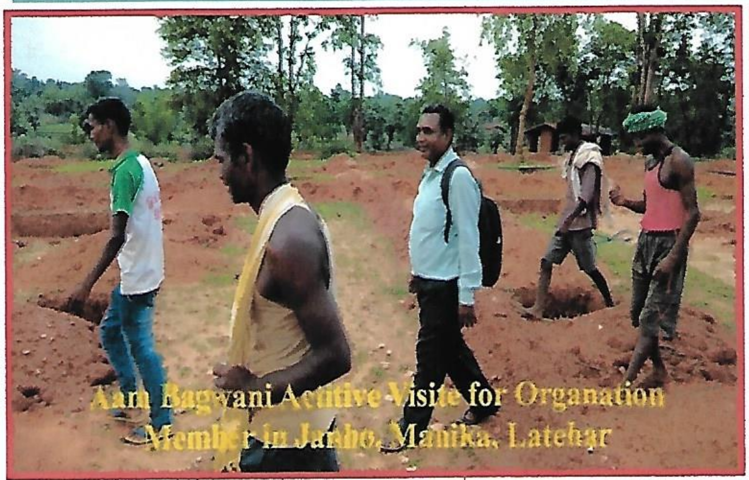
Aam Bagwani Actitive Visite for Organation Member in Janho, Manika, Latehar

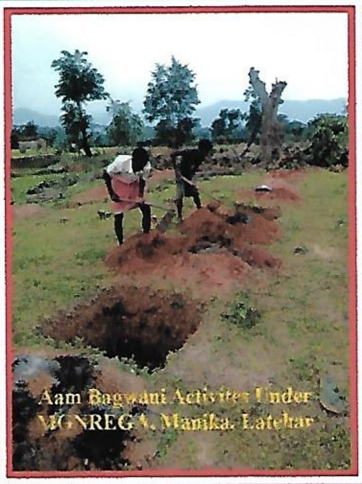
Aam Bagwani Activites Under MGNREGA, Manika, Latehar

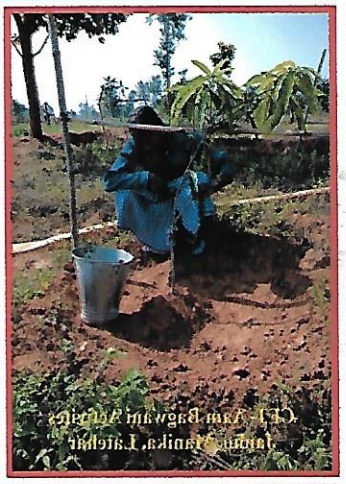

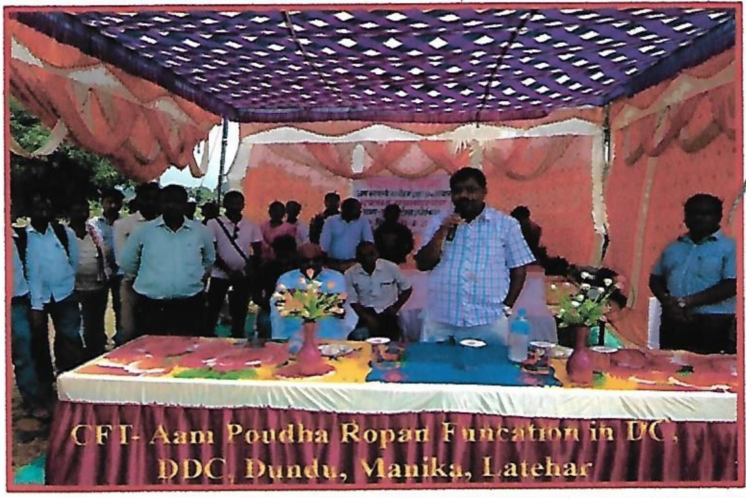
CFT- Aam Poudha Ropan Funcation in DC, DDC, Dundu, Manika, Latehar

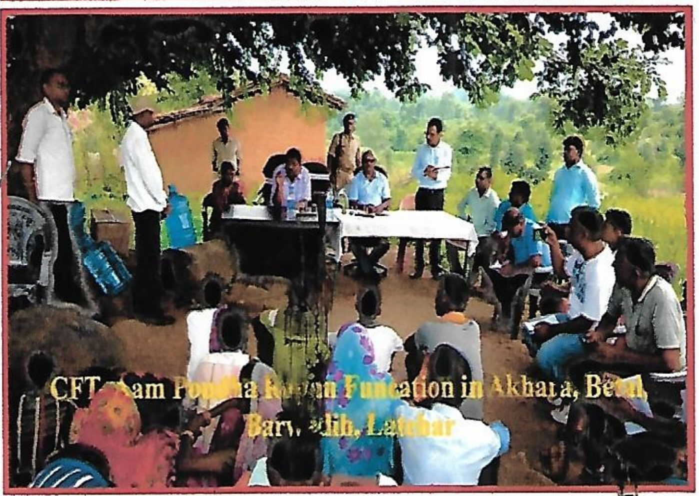
CFT- Aam Poudha Ropan Funcation in Akhara, Betal, Barwadih, Latehar

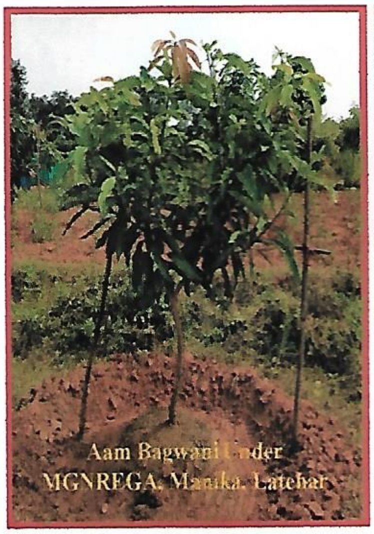
Aam Bagwani Under MGNREGA, Manika, Latehar

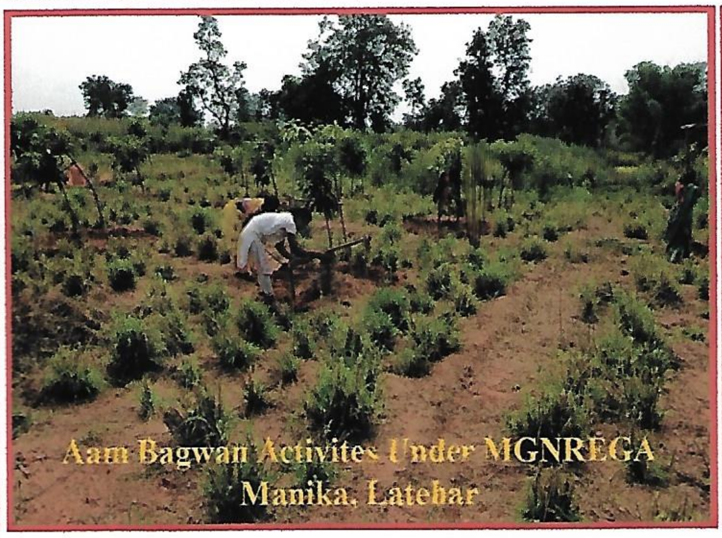
Aam Bagwan Activites Under MGNREGA Manika, Latehar

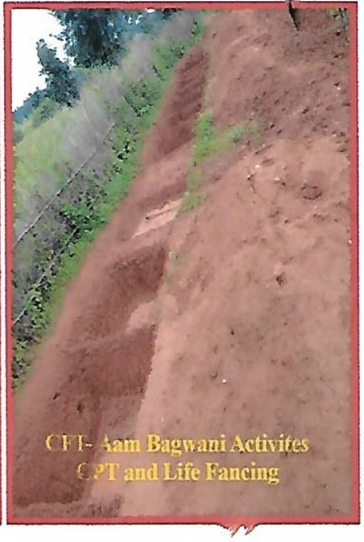
CFT- Aam Bagwani Activites CPT and Life Fancing

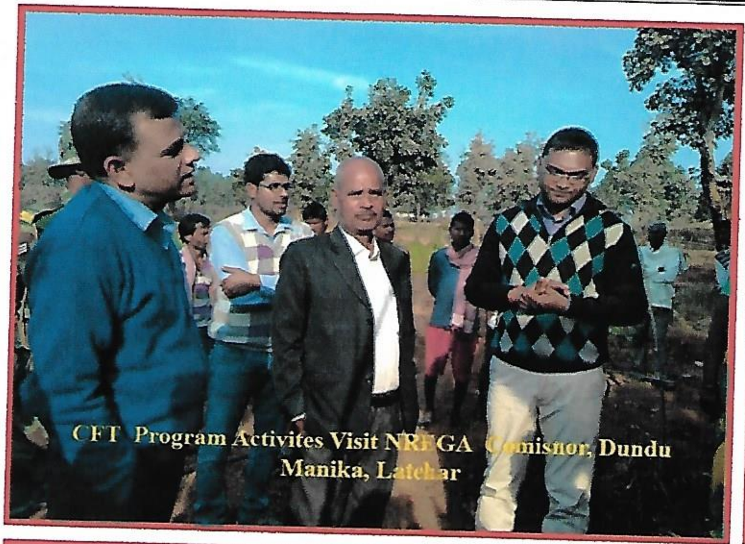

CFT Program Activites Visit NREGA Comisnor, Dundu Manika, Latehar

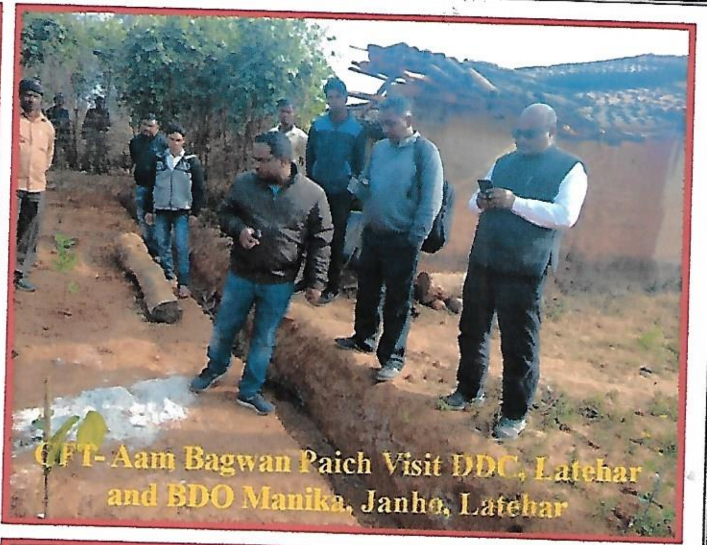

CFT- Aam Bagwan Paich Visit DDC, Latehar and BDO Manika, Janho, Latehar

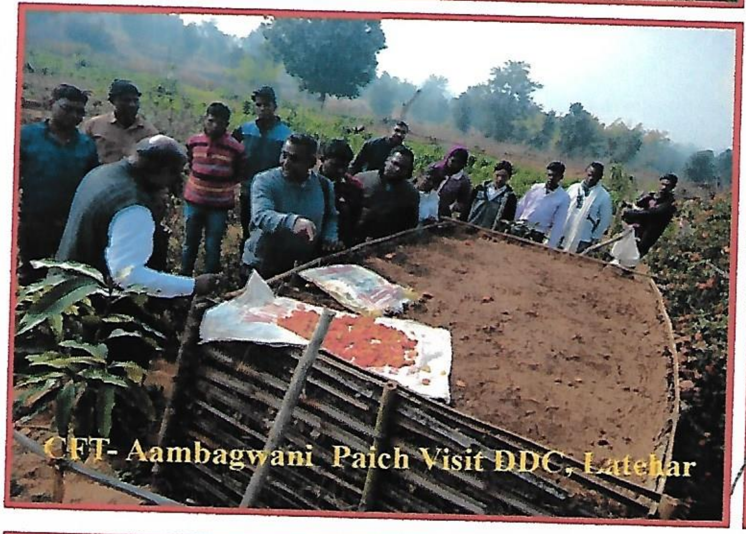

CFT- Aambagwani Paich Visit DDC, Latehar

CFT- Aam Bagwani Paich Visit , BDO, BPO, DDC, PRI Member and CFT Member

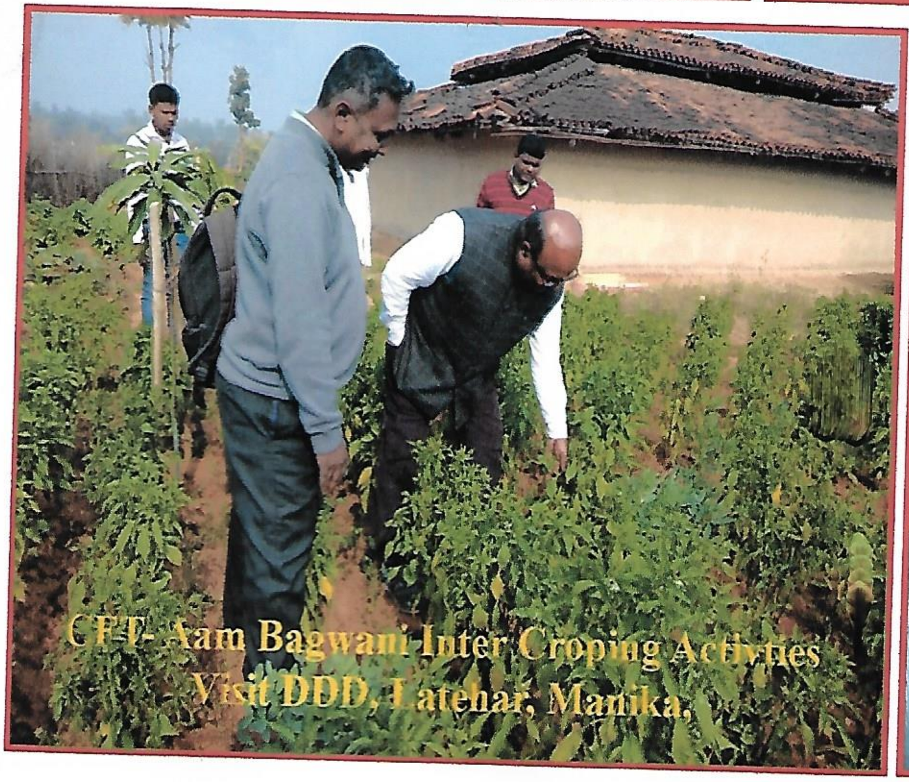

CFT- Aam Bagwani Inter Croping Activties Visit DDD, Latehar, Manika.

CFT-Aam Poudha Ropan Funcation in Akhara, Betal, Barwadih, Latehar

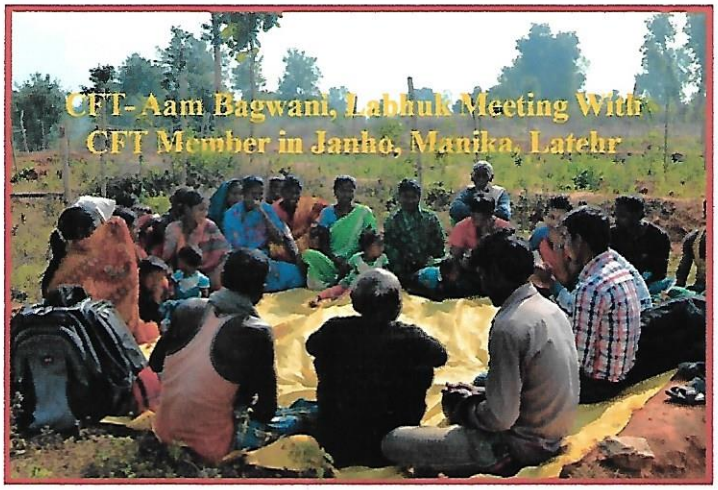

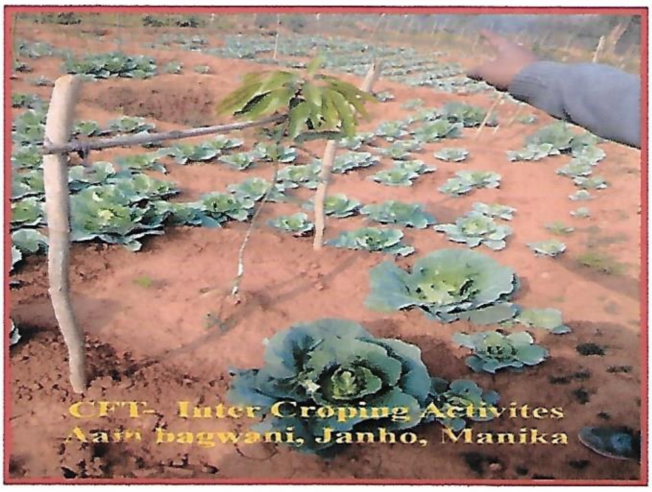

वनाधिकार कानून (FRA) को लेकर जागरूकता व दावा सृजन कार्यक्रम

वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों के बीच जागरूकता व दावा पत्रों के माध्यम से व्यक्ति व सामुदायिक अधिकार को लेकर संस्था द्वारा जीजीएफ के सहयोग से मनिका और बरवाडीह के विभिन्न पंचायतों में कार्यक्रम शुरू किया गया।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनभूमि के लाभुकों को वन भूमि पर पट्टा का अधिक से अधिक सृजन करने के लिये बड़गड़ प्रखंड के सभी 22 गांवों में वनाधिकार समिति के गठन हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें वनाधिकार कानून के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी और उन्हें जंगल पर सामुदायिक अधिकार के बारे में समझायी गयी, ताकि जंगल समुदाय को अधिकार हो सके और वे अपने आजीविका के लिए इसका उपयोग कर सके। रंका प्रखंड के विभिन्न गांवों में सामुदायिक दावा के लिये पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, इसके अलावा झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू के चैनपूर,रामगढ़,पाटन,डालटनगंज सदर एवं छत्तरपुर में वन पट्टा के लिये समुदाय के लोंगों को सहयोग किया जा रहा है।

कार्यक्रम के अंतर्गत तकनीकि सहयोग :– वन भूमि के पट्टा के लाभुकों को तकनीकि मदद के लिए नक्स बनाना तथा नक्सा तथा नक्से हेतू जीपीएस के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी दी जा रही है। वन भूमि के पट्टे लाभुकों के दावा पत्रों संलग्न करने हेतू फोटो आदि लेने के मदद की जा रही है। इसके साथ ही साथ नक्सा, फोरमेट डिजाइन करने तथा उससे प्रिंटींग या फोटो कॉपी करार कर उनके उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों को सृजन किया जा सके।

प्रभावकारी तरीके से वनाधिकार कानून को समुदाय तक पहुचाने के तरीके :– वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों तक कानूनी प्रवधानों को पहुचाने के लिए वनाधिकार कानून 2016 और पेसा कानून से संबंधि कइ बुकलेट, पोस्टर अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, ताकि सामुदाय के लोगे वनाधिकार कानून 2006 कि जानकारी मिल सके। वहीं संस्था द्वारा लातेहार जिला के मनिका, बरवाडीह और पलामू जिला के विभिन्न प्रखंडों प्रचार–प्रचार के साथ मिटिंग व कार्यशाला कर वनाधिकार समिति और वन मित्रों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों का सृजन किया जा सके।

सरकार के साथ समन्वय :– वनाधिकार कानून 2006 को लागू कराने के लिए संस्था द्वारा जिला व अमनुमंडल व जिला स्तरीय समिति के साथ दावा पत्रों के लेकर लगातार जनवाकालत की जा रही है, इसके साथ ही अनुमंडल व जिला स्तरीय समिति के सदस्यों को वनाधिकार कानून 2006 के प्रावधान सहित अन्य जानकारी भी दी जा रही है, साथ ही साथ अनुमंडल स्तरीय समिति में जमा किये गये दावा पत्रों को स्वीकृत व त्रृटियां को लेकर अधिकारियों के साथ प्रखंड, अनुमंडल व जिला स्तरीय समिति तक की जा रही है।

वनाधिकार कानून को लेकर चलाये गये गतिविधियों की तसवीर

YWLP कार्यक्रम

महिलाओं के अधिकार आधारित कार्यक्रमों को लेकर संस्था द्वारा फेमनिस्ट अपरोच टू टेकनालॉजी और ओक फाउंडेशन के सहयोग से पलामू जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत मेदिनीनगर में वाईडब्लूएलपी कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14–25 उम्र लड़ियों के बीच नेतृत्व व उनका क्षमता बढ़ाने के उदेश्य को लेकर 60 लड़कियों के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत रेड़मा में टेक सेंटर की शुरूआत की गयी है। इस टेक सेंटर वैसी लड़कियों को मौका दिया गया है, जो समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर है, इन लड़कियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने टेक्नालॉजी से अवगत कराने का प्रयास किया गया, जो रहा है, साथ खास कर हमारे समाज लडकि्यों के शिक्षा की जब बात आती है, तो शिक्षा का लेकर भेद–भाव किया गया, इसी समस्या को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके साथ ही साथ लडकियों को उनके अधिकार को लेकर समय–समय पर कार्यशाला कर उन्हें उनके अधिकार की बातें बतायी जा रही, ताकि लड़कियों के अंदर उन्हें निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए कम्प्यूटर कोर्स ऐसा बनाया गया कि उन्हें आजीविका के साथ स्वलंबी भी बनने में मदद मिलेगी, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें। इस कार्यक्रम द्वारा 34 लड़कियों ने सफलतापूर्वक प्रशिक्षण प्राप्त करके प्रमाण पत्र प्राप्त किया।

महिला हिंसा व महिला अधिकार कानून को लेकर कार्यक्रम

संस्था द्वारा आली के साथ मिल कर पलामू के सतरब कानूनी जानकारी तथा उन्हें मदद करते रही है। इन महि से लेकर न्यायिक संस्थाओं के साथ समान्वय स्थापित व चिन्ह प्रखंडों में अपने केस वर्ककर के माध्यम से महिला संस्थाओं के साथ समान्वय स्थापित करती है, ताकि पीरि ही साथ माहिलाओं को महिला हिंसा व महिला अधिकार बैठक कर उन्हें कानूनी जानकारी भी दी जा रही है। इस के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

मेदिनीनगर और चैनपुर प्रखंड महिलाओं को को ओं को न्याय दिलाने के लिए थाना तथा महिलाओं उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते है। संस्था इन ा से प्रताड़ित महिलाओं केस अध्ययन कर न्यायिक महिलाओं को उनको न्याय मिल सके। इसे साथ ानून के प्रति जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर अलावा लातेहार एवं गढ़वा प्रखंड में भी इस तरह

महिला हिंसा व महिला अधिकार कानून को फोटो के माध्यम से गतिविधियां

संस्था के अन्य गतिविधि / कार्यक्रम

- संस्था नरेगा, पानी, दलित आदिवासी व महिलाओं के समस्याओं को लेकर डक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संस्था यह प्रयास करते हुए मुद्दा आधारित डक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों के हक व न्याय के लिए जारूक करें, इसके प्रयास के लिए हमेशा आगे कारते रहेगी।
- संस्था आदिवासी, दलित व महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार व आजीविका के लिए कार्यक्रम को लागू व संचालन करने का अन्य संस्थाओं व संगठनों के माध्यम से करते आ रही है।
- संस्था द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के बारे में दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन में अपने सहयोगी संस्था एनसीडीएचआर के सहयोग से झारखंड के विभिन्न जिलों में व राज्य के अन्य इलाकों किया जा रहा है।
- आदिम जनजाति को उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्था द्वारा जागरूकता तथा प्रषिक्षण व बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आदिम जनजाति परिवारों को उनके अधिकार व उसे हासिल करने के लिए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती रही है।
- यूआरआई के साथ जुड़ कर समाज में शांति व सद्भावना बनाए रखने के लिए संस्था हमेशा प्रयास करते रही है।
- मानव तस्करी के खिलाफ के संस्था जागरूकता कार्यक्रम के साथ बच्चों को उनके मां–बाप तक पहुचाने व मिलाने के लिए अपना एडवोकेसी कार्यक्रम मानव तस्करी के लिए काम करने वाले संगठनों के नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन करते रही है।
- संस्थ महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण, कार्यशाला व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती रही है।
- वन विभाग द्वारा टाईगर प्रोजेक्ट एरिया के बफर जॉन में महुआडांड प्रखंड के 18 गांवों में ईको विकास समिति के लिए भीलेज लेवल डेवल्पमेंट प्लान किया गया। कार्यक्रम के द्वारा 18 गांवों में ईको विकास समिति के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए तीनों के लिए कार्यक्रम में चलाये गये। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के साथ मिटिंग और गांव के विकास के लिए जंगल को केंद्रित कर योजनाओं को चयन किया गया तथा गांव के संसाधन की पहचान भी गयी, उसके बाद योजनाओं का समेकन कर एक गांव के लिए बुक तैयार की गयी। जिससे वन विभाग इन योजनाओं को अपने ईडीसी के माध्यम से उन गांव में लागू करेगी, जिससे की जंगल पर से दबाव को कम किया जा सके।
- मनिका के प्रखंड में 22 दिसंबर 2017 को मनरेगा से 100 दिन काम पूरा करनेवाले मजदूरों को संस्था के द्वारा सम्मनित किया गया। इसके मौके पर लातेहार जिला के डीडीसी अनिल कुमार सिंह उपस्थित थे, मजदूरों को मनरेगा में बेहतर कार्य करने वाले मजदूरों को उपाविकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह व संस्था के प्रतिनिधियों ने कुदाल और टोकरी देकर मजदूरों को सम्मानित किया।
- मनरेगा को बेहतर क्रियान्वयन को लेकर झारखंड सरकार द्वारा स्थापित सामजिक अंकेक्षण इाकई को मजबूत करने तथा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए संस्था वह संस्था के पदाधिकारी मदद करते रहे हैं।
- राशन और पेंशन की पहुच आम जनों तक हो इसके मनिका के विभिन्न गांवों सर्वे व जनसुवाई की प्रक्रिया जिला के साथ मिलकर चलाते रही है।
- संस्था द्वारा महिला दिवस व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनायी जाती है।

संस्था अन्य गतिविधियां फोटो के द्वारा

Madur Saman Samroha in Manika, Latehar 22 December 201

Madur Samen Samroha in Manika, Latehar 22 December 2017

Mahila Diwas ke Awasr Sanstha ke Mahila Sangathan ne 8 March ko Mahila Diwas

Mahila Diwas ke Awasr Sanstha ke Mahila Sangathan ne 8 March ko Mahila Diwas

Mazdur Diwas in Manika, Latehar

Mahila Diwas ke Awasr Sanstha ke Mahila Sangathan ne 8 March ko Mahila Diwas Manaya gaya

Social Audit ke District Jansuwani me Org. Member James Herenj in Latehar

Barwadih, Latehar me Social Audit ke Jansuwai Proces me Org. Member Mithilesh Kumar

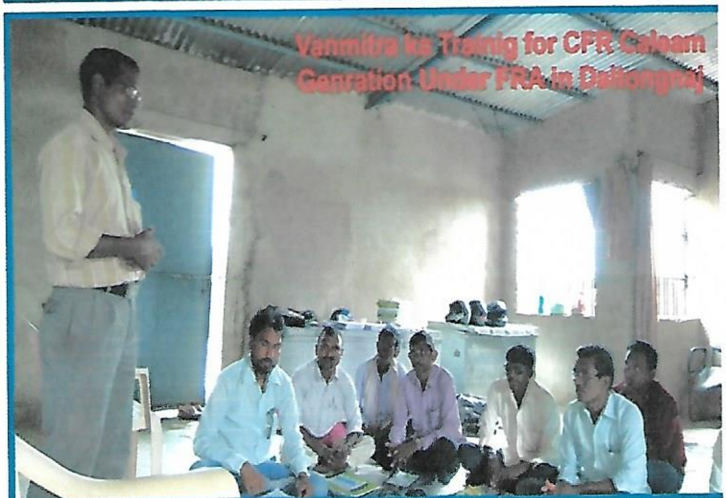

Vanmitra ka Trainig for CFR Calearn Genration Under FRA in Daltongnaj

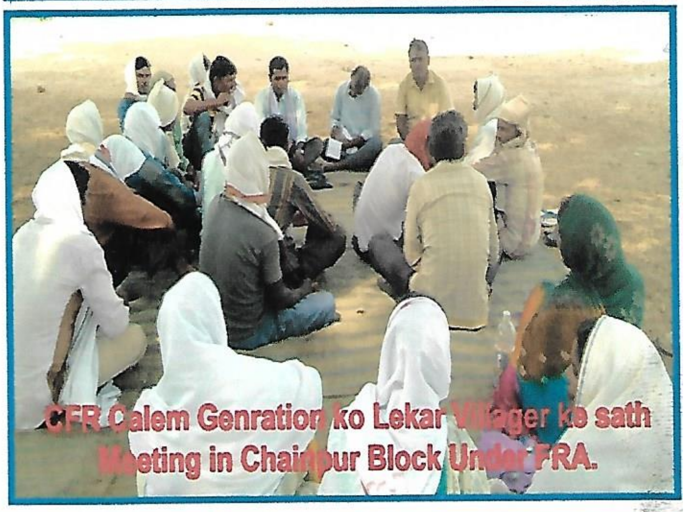

CFR Calem Genration ko Lekar Villager ke sath Meeting in Chainpur Block Under FRA.

Ambedkar Chatrawas me Birksha Ropan Karte Org. Member in Daltonganj.

Ambedkar Chatrawas me Birksha Ropan Karte Org. Member in Daltonganj.

Social Audit ke Palamu Jon BRP ko Certificate Couresc Vitran karte Org. Member in Daltongnaj.

Mazdur Divas in Manika Latehar 1 May 2017

संस्था की गतिविधियां मिडिया में

रांची, शनिवार 23.12.2017 | प्रभात खबर

मनरेगा और जॉब कार्ड ने बदली मजदूरों की किस्मत

मजदूरों को टोकरी व गइता देकर सम्मानित करते उपविकास आयुक्त.

लातेहार. मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में मनरेगा में 100 दिन काम करनेवाले मजदूरों को सम्मान समारोह सह सम्मेलन का आयोजन कर मनिका व बरवाडीह के 20 मजदूरों को गइता व टोकरी देकर सम्मानित किया गया. मौके पर मुख्य अतिथि उपविकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा व जॉब कार्ड ने मजदूरों की किस्मत बदली है. यह मनिका व बरवाडीह के मजदूरों ने यह साबित किया है. उन्होंने कहा कि मनरेगा से न केवल काम मिला है, बल्कि मजदूरों की स्थिति सुदृढ़ हुई है. उन्होंने मनरेगा में 100 काम पूरा करनेवाले मजदूरों को बधाई दी. उन्होंने मनरेगा वॉच के राज्य समन्वयक जेम्स हेरेंज को मनरेगा कानून को सख्ती से लागू कराने व मजदूरों को सजग करने के लिए धन्यवाद दिया. कार्यक्रम को मिथिलेश कुमार, सोभन, बीपीओ तरसिला टोप्पो तथा जितेंद्र सिंह ने संबोधित किया. कार्यक्रम में मनिका के जान्हो से आम बागवानी के मनरेगा मजदूर सुमिता देवी, लिलो देवी, सरिता देवी, सोहरी देवी, कलावती देवी, आस्पतिया देवी, सारो देवी, रजनी देवी, कपिल देव सिंह, कारो देवी व पानपती देवी, योगेंद्री देवी, परमेश्वर सिंह, अशोक यादव, बलि यादव, देव लाल सिंह, तपेश्वर सिंह, बसंत सिंह, रामराज सिंह, ठाकुर दयाल सिंह, फजहत सिंह, उमेश परहिया, सुरेंद्र सिंह, हरमनिया देवी, रामचंद्र उरांव, अजीत उरांव, विजय सिंह, बेलास सिंह व विनोद सिंह को गइता व टोकरी देकर सम्मानित किया गया. समारोह मनरेगा सहायता केंद्र, मनरेगा वाच, ग्राम स्वराज मजदूर संघ, एनसीडीएचआर व सीएफटी मनिका द्वारा मल्टी आर्ट एसोसिएशन और एसपीडब्लूडी के तत्वावधान में आयोजित किया गया था. मौके पर बीडीओ शंकराचार्य समद, विकास सहयोग केंद्र के मनोज सिंह, सीएफटी के प्रेम प्रकाश, पाचाठी सिंह, कमलेश उरांव, दिलीप कुमार, ननकू सिंह, अमरदयाल सिंह, दिव्य प्रकाश, राहुल आदि उपस्थित थे.

दैनिक भास्कर

रांची, शनिवार 23 दिसंबर, 2017 | 16

मनरेगा में 100 दिन काम करनेवाले मजदूर सम्मानित, दी गैंता-टोकरी

मनरेगा मजदूरों को गैंता-टोकरी देते डीडीसी अनिल कुमार सिंह।

भास्कर न्यूज | मनिका

मनिका प्रखंड कार्यालय परिसर में शुक्रवार को मनरेगा में 100 दिन काम करनेवाले मनिका और बरवाडीह के 20 मजदूरों को गैंता और टोकरी देकर सम्मानित किया गया। समारोह में उपविकास आयुक्त अनिल कुमार सिंह ने कहा कि मनरेगा से बिचौलियों को दूर भगाना है। मनरेगा वॉच के राज्य समन्वयक जेम्स हेरेंज ने कहा कि मनिका के मजदूरों ने मनरेगा कानून को सफल बनाने में कदम से कदम मिलाकर चला है, जो बधाई के पात्र हैं। सम्मेलन को मिथिलेश कुमार, शोभन, बीपीओ तरसीला टोप्पो तथा जितेंद्र सिंह ने भी संबोधित किया। जिन मजदूरों को गैंता व टोकरी दिया गया, उनमें मनिका के जान्हो निवासी मनरेगा मजदूर सुमिता देवी, लीलो देवी, सरिता देवी, सोहरी देवी, कलावती देवी, आसपतिया देवी, सारो देवी, रजनी देवी, बडक़ाडीह से कपिल देव सिंह, जुंगूर से कारो देवी व पानपती देवी, दुंदू पंचायत से योगेंद्री देवी, परमेश्वर सिंह, अशोक यादव और बली यादव, बरवाडीह के उक्कामांड़ पंचायत के देवलाल सिंह, तपेश्वर सिंह, बसंत सिंह, रामराज सिंह, ठाकुर दयाल सिंह और फजहत सिंह, बेतला पंचायत से उमेश परहिया, छिपादोहर पंचायत से सुरेंद्र सिंह, हरमनिया देवी, रामचंद्र उरांव और अजीत उरांव और मंगरा पंचायत से विजय सिंह और बेलास सिंह तथा केड़ पंचायत से विनोद सिंह शामिल हैं।

03 हिन्दुस्तान • रांची • मंगलवार • 19 दिसंबर 2017

36 गांवों को मिलेगा वनाधिकार पट्टा

मेदिनीनगर | प्रतिनिधि

पलामू के आदिम जनजाति बहुल 36 गांव के लोगों को सामुदायिक वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। वनाधिकार पट्टा मिल जाने के बाद गांव के लोग जंगल से जलावन के लिए लकड़ी, पानी और अन्य तरह के संशाधनों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

डीआरडीए के सभागार में सोमवार को वन अधिकार अधिनियम के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसका उद्घाटन उपायुक्त अमित कुमार ने किया। कार्यशाला में 36 गांव में सामुदायिक वन पट्टा देने की बात कही गई, इस दौरान कहा गया कि वनपट्टा मिल जाने से ग्रामीणों को लाभ होगा और वन भूमि का सामूहिक इस्तेमाल कर सकेंगे। कार्यशाला में कहा गया कि एनआरएलएम के तहत वनपट्टा वाले गांव में लोगों का सर्वेक्षण कर स्वरोजगार से जोड़ा जाएगा।

इस दौरान गांव वालों का एक डाटा तैयार करने और उसके आधार पर विकास योजना के संचालन करने को कहा गया। कार्यशाला में अपर समाहर्ता प्रदीप कुमार प्रसाद, डीएफओ एनसीएस मुंडा, जिला कल्याण पदाधिकारी सुभाष कुमार, एसडीएम नन्दकिशोर गुप्ता, हुसैनाबाद एसडीएम कुंदन कुमार, यूएनडीपी के संजय कुमार गौतम समेत कई अधिकारी मौजूद थे।

कहां मिलेगा सामुदायिक वनाधिकार पट्टा

सतबरवा प्रखंड के हुडमुड़, लेदवाखाड़, फुलवरिया, मेदिनीनगर के भुसरिया, जोरकट, सुआ, हिसरा पोखराहा, चैनपुर के सेरका, बानालात, चौपरिया, दुलवा, कोटी महुआ, कादन, सरहुआ, चोरहट, गोरे, नावाडीह, करमा, हिसरा, मुसुरमू, माके, दिनाबर, उलडंडा, मनातू के पदमा, भैसासुर, अब्दुलडीह, छत्तरपुर के चौखड़ा, गोरहो, नौडीहा बाजार के डगरा, ओकराहा, देवनार, पाटन के किसैनी के नाम शामिल है। मनातू के अब्दुलडीह में सबसे अधिक आदिम जनजाति के 403 लोग हैं। जबकि देवनार में सिर्फ एक व्यक्ति है।

05 • रांची • मंगलवार • 24 अप्रैल 2018 हिन्दुस्तान

वनाधिकार कानून को लेकर निकाली रैली

मेदिनीनगर | प्रतिनिधि

वनाधिकार कानून में हो रही लापरवाही के खिलाफ झारखण्ड वनाधिकार मंच ने सोमवार को रैली निकाली। शिवाजी मैदान से निकाली गयी रैली शहर का भ्रमण करते हुए कचहरी तक पहुंची और सभा में तब्दील हुई। बाद में राज्यपाल के नाम मांगपत्र सौंपा गया।

झारखंड वनाधिकार मंच के सदस्यों ने कहा कि ग्रामसभा के अधिकार को प्रशासनिक अधिकारी मानने को तैयार नहीं है। वक्ताओं ने कहा कि राष्ट्रीय वन नीति वनाधिकार कानून के अनुरूप नहीं है। इसलिए इसका विरोध हो रहा है। सरकार जंगलों का व्यवसायीकरण कर रही है। वन आश्रितों को उनका अधिकार नहीं दिया जा रहा है।

रैली में वनाधिकार मंच के मिथिलेश कुमार, जेम्स हेरेंज, बनारसी सिंह, तरुण कुमार, मिलोकी नाथ, अविनाश रंजन समेत कई लोग शामिल थे। मंच ने रैली के माध्यम से कानून के क्रियान्वयन को लेकर गंभीर होने, जिला और अनुमंडल अस्र पर कानून की उपेक्षा नहीं करने, वन विभाग के हस्तक्षेप पर अंकुश लगाने, ग्राम सभा के अनुमति के बिना निरस्त या रकबा के कटौती वाले दावों पर पुनर्विचार करने आदि की मांग की है।

मेदिनीनगर में सोमवार को रैली में शामिल विभिन्न मंच के ग्रामीण और आयोजक।

राष्ट्रीय नवीन मेल — डालटनगंज (मेदिनीनगर), शनिवार 16 दिसम्बर 2017

पलामू में मनरेगा योजनाओं का विशेष सामाजिक अंकेक्षण आज से, 518 बीआरपी लगाये गये

मेदिनीनगर(मे.सं)। झारखंड मनरेगा आयुक्त के निर्देश पर पलामू जिला में प्रथम चरण 74 पंचायतों में विशेष सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया 16 दिसंबर से शुरू की गयी है, विशेष सामाजिक अंकेक्षण को लेकर आज डालटनगंज स्थित टाउन हॉल में बीआरपी, भीआरपी के लिए प्रथम दिन ओरियंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष सामाजिक अंकेक्षण में पूरे राज्य से 74 बीआरपी, 440 भीआरपी और 10 डीआरपी लगाये गये हैं।

ओरिंटेशन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विशेष सामाजिक अंकेक्षण के प्रभारी जगनारायण जगत ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण टीम के लोग तथ्य आधारित प्रतिवेदन तैयार करने में अपनी विशेष ध्यान दें, ताकि प्रतिवेदन निष्पक्ष और सशक्त हो सके, साथ ही मनरेगा कानून का बेहतर तरीके से क्रियान्वय हो सके और समुदाय के लोगों तक मनरेगा प्रावधानों की समझ बने और उसका सदुपयोग करें, जिससे बेहतर समाज

निर्माण किया जा सके। उन्होंने कहा कि सभी सामाजिक अंकेक्षण टीम के लोग समर्पण व पूर्वाग्रह से ग्रसित हो कर का नहीं करें, तभी पलामू प्रमंडल में विशेष सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया सफल होगी। उन्होंने कहा कि प्रत्येक पंचायत के लिए सात सदस्यी अंकेक्षण दल का गठन किया गया है, बीआरपी टीम का नेतृत्व पंचायत स्तर पर करेंगे। वहीं प्रखंड स्तर टीम का नेतृत्व डीआरपी करेंगें। वहीं पूरे पलामू जिला के लिए जेम्स हेरेंज, जवाहर मेहता और मिथिलेश कुमार को मेंटर के रूप में नामित किये गये हैं, जो टीम को प्रोत्साहित, मार्गदर्शन और सुझाव देंगे। उन्होंने बताया कि मनरेगा विशेष सामाजिक अंकेक्षण प्रथम चरण 16 से 22 दिसंबर 74 पंचायतों में किया जायेगा, वहीं दूसरा चरण में 73 पंचायतों में 23 से 30 दिसंबर तक चलेगा।

मनरेगा लोकपाल डॉ0 मुरारी झा, राज्य स्रोत समूह के जवाहर मेहता, मिथिलेश कुमार, एनआरपईपी सह डीआरडीए निदेशक हैदर अली तथा मनरेगा कोषांग डीआरडीए के तकनीकि सहायक अशोक कुमार ने बीआरपी, भीआरपी और डीआरपी को संबोधित करते हुए कहा कि सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया को बेहतर बनाने में भीआरपी और बीआरपीपी की भूमिका अहम है। लोगों ने कहा कि साक्ष्य आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि मनरेगा के खामियों को दूर किया जा सके और मनरेगा के प्रावधान समुदाय के लोगों तक पहुचे। लोगों ने कहा कि सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया केवल कमियों को खोजना नहीं है, बल्कि तथ्यों के आधार पर उसे बेहतर करने की प्रक्रिया है। विशेष सामाजिक अंकेक्षण के प्रक्रिया को स्थानीय स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए डीआरपी आश्रिता तिर्की व प्रवीण कर्ण को दी गयी, वहीं प्रबंधन की जिम्मेवारी वशिष्ट नारायण उरांव को दी गयी है। इस कार्यक्रम में प्रवीण बनराय, कुलदीप मिश्रा, पंचम प्रसाद वर्मा, कुमार दिलीप, रामजीवन अहरी, भीमलाल साहू, बैजनाथ प्रसाद वर्मा भी उपस्थित थे।

विकास के लिए नया नजरिया जरूरी :डीडीसी

लातेहार | प्रतिनिधि

मनरेगा योजना के तहत आम की बागवानी को लेकर किसानों और मनरेगा कर्मियों का एक दिवसीय कार्यशाला बुधवार को संपन्न हुई। मौके पर मुख्य अतिथि डीडीसी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि किसानों को आर्थिक विकास के लिए नया नजरिया अपनाना होगा।

कार्यशाला में किसानों को संबोधित करते डीडीसी व अन्य। ● हिन्दुस्तान

उन्होंने कहा कि बागवानी एक ऐसा माध्यम है जिससे किसानों का भविष्य सुनहरा हो सकता है। उन्होंने किसानों को बागवानी से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर भी जानकारी दी। वहीं यह भी बताया कि मनरेगा योजना के तहत चयनित होने वाले सभी लाभुकों को बागवानी का सारा खर्च मनरेगा से मिलेगा। उन्होंने मनरेगा कर्मियों को भी कहा कि योजना में भुगतान में थोड़ी सी भी लापरवाही न करें। बताया गया कि पहले चरण में लातेहार जिले के पांच प्रखंडों में बागवानी की योजना चयनित की गयी है। जिसमें 113 लाभुकों का चयन भी अब तक किया जा चुका है। शेष प्रखंडों में भी बाद में बागवानी के लिए लाभुकों का चयन किया जाएगा। मौके पर प्रशिक्षक मिथलेश कुमार व अन्य ने भी लाभुकों को जानकारी दी। जय कुमार सिंह, करण पासवान समेत आदि मौजूद थे।

ऑडिट रिपोर्ट

TULSYAN SAPNA AND COMPANY
Chartered Accountants

Jain Mandir Road
Daltonganj - 822101
JHARKHAND
Mobile: 9708852999

FORM 10B
(See Rule 17B)

Audit Report under Section 12A(b) of the Income Tax Act, 1961 in case of Charitable or Religious Trusts or Institutions

1. We have examined the Balance Sheet as at 31.03.2018 and Income and Expenditure Account for the year ended 31.03.2018 attached herewith, of 'Multi Arts Association (MAA)', Maa Bhawan, Panki Road, Medininagar.

2. We certify that the Balance Sheet and the Income and Expenditure Account are in agreement with the books of accounts maintained at the office in Panki Road.

3. a) We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit.

   b) In our opinion, proper books of accounts have been maintained by the Organisation, as appears from the examination of the books.

   c) In our opinion and to the best of our information and according to the information given to us, the said accounts give a true and fair view:

   i) in the case of Balance Sheet of the state of affairs of the above named Organisation as at 31.03.2018, and

   ii) in the case of Income and Expenditure Account, of the profit or loss of the Organisation for the year ended 31.03.2018.

For Tulsyan Sapna & Company
Chartered Accountants

Place: Daltonganj
Date: 27th August, 2014

(Sapna Tulsyan)
Proprietor
M. No.: 402510

FORM NO. 10B
[See rule 17B]

Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

We have examined the balance sheet of Multi Arts Association , AACTM9265D [name and PAN of the trust or institution] as at 31/03/2018 and the Profit and loss account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said trust or institution.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the abovenamed trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper Returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by us , subject to the comments given below:

In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us , the said accounts give a true and fair view-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named trust as at 31/03/2018 and

(ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its accounting year ending on 31/03/2018

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place DALTONGANJ
Date 27/08/2018

Name SAPNA TULSYAN
Membership Number 402510
FRN (Firm Registration Number) 011954C
Address M/S TULYSAN SAPNA AND C O, JAIN MANDIR ROAD DAL TONGANJ - 822101 JHARKHA ND

ANNEXURE
Statement of particulars
I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES

1.	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year (₹)	5319964
2.	Whether the trust has exercised the option under clause (2) of the Explanation to section 11(1) ? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year (₹)	No
3.	Amount of income accumulated or set apart for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 15 per cent of the income derived from property held under trust wholly for such purposes. (₹)	Yes 773792
4.	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	No
5.	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) (₹)	0
6.	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b) ? If so, the details thereof.	Not Applicable
7.	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B) ? If so, the details thereof (₹)	Not Applicable
8.	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
(a)	has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or	No
(b)	has ceased to remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account	No
(c)	has not been utilised for purposes for which it was accumulated or set apart during the period for which it was to be accumulated or set apart, or in the year immediately following the expiry thereof? If so, the details thereof	No

II. APPLICATION OR USE OF INCOME OR PROPERTY FOR THE BENEFIT OF PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3)

1.	Whether any part of the income or property of the trust was lent, or continues to be lent, in the previous year to any person referred to in section 13(3) (hereinafter referred to in this Annexure as such person)? If so, give details of the amount, rate of interest charged and the nature of security, if any	No
2.	Whether any part of the income or property of the trust was made, or continued to be made, available for the use of any such person during the previous year? If so, give details of the property and the amount of rent or compensation charged, if any	No
3.	Whether any payment was made to any such person during the previous year by way of salary, allowance or otherwise? If so, give details	No
4.	Whether the services of the trust were made available to any such person during the previous year? If so, give details thereof together with remuneration or compensation received, if any	No
5.	Whether any share, security or other property was purchased by or on behalf of the trust during the previous year from any such person? If so, give details thereof together with the consideration paid	No
6.	Whether any share, security or other property was sold by or on behalf of the trust during the previous year to any such person? If so, give details thereof together with the consideration received	No
7	Whether any income or property of the trust was diverted during the previous year in favour of any such person? If so, give details thereof together with the amount of income or value of property so diverted	No
8	Whether the income or property of the trust was used or applied during the previous year for the benefit of any such person in any other manner? If so, give details	No

III. INVESTMENTS HELD AT ANY TIME DURING THE PREVIOUS YEAR(S) IN CONCERNS IN WHICH PERSONS REFERRED TO IN SECTION 13(3) HAVE A SUBSTANTIAL INTEREST

S. No	Name and address of the concern	Where the concern is a company, number and class of shares held	Nominal value of the investment(₹)	Income from the investment(₹)	Whether the amount in col. 4 exceeded 5 per cent of the capital of the concern during the previous year-say, Yes/No
	Total				

Place DALTONGANJ
Date 27/08/2018

Name SAPNA TULSYAN
Membership Number 402510
FRN (Firm Registration Number) 011954C
Address M/S TULYSAN SAPNA AND C O, JAIN MANDIR ROAD DAL TONGANJ - 822101 JHARKHA ND

Form Filing Details	
Revision/Original	Original

Multi Art Association
Reg.Off.: Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj
Mailing Address: Bhudhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31/03/2018

Liabilities		Amount (Rs.)	Assets	Amount (Rs.)
General Fund				
Opening Balance	1071194.00		Fixed Assets	432252.00
Add: Transfer from CFT	0.00		(As per Schedule A)	
Less: Transfer to CFT Project	0.00		Fixed Assets (FCRA)	141011.00
Less: Depreciation (CFT Assets)	-24888.00			
Add: Excess of Income over			Current Assets	
Expenditure	151810.00	1198116.00	Security Deposit b/f	5000.00
			Grant Receivable from SPWD	1045206.00
CFT Fund			SPWD for Lac b/f	7000.00
Oustanding Expenses b/f	1516060.00		ITDA, Latehar b/f	29250.00
Less: Repaid during the year	-1516060.00	0.00	Advance	503907.00
Loans from members		46806.00		
Outstanding Expenses		1008264.00	Cash in Hand	
			General Programme	202.00
FCRA Fund			Global Greengrants Fund	663.00
Opening Balance	525948.00			
Add: Excess of Income over			SBI, ADB - 30774140433	
Expenditure	-49182.75	476765.25	Global Greengrants Fund	389630.00
			Young Women Leadership Prog	39694.25
Current Liabilities & Provisions			General Fund	1367.00
Audit Fee payable		18000.00	IDBI Bank - 1258102000016940	331972.00
Loan from Members		21250.00	SBI, ADB - CFT MGNREGA	9864.00
Advances		72217.00		
FCRA Outstanding Expenses		98000.00		
		2937418.25		2937418.25

As per our Report of even date annexed herewith.
For Tulsyan Sapna & Company
Chartered Accountants

Place: Daltonganj
Date: 27th August, 2018

Proprietor
(Sapna Tulsyan)
Membership No. 402510

Multi Art Association

Reg.Off.: Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj

Mailing Address: Bhudhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj

CONSOLIDATED INCOME AND EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31.03.2018

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
To Administrative Expenses		**By Receipts from:**	
Honorarium	160000.00	Monthly Subscription	4200.00
Staff Salary	3357150.00	Donation	10000.00
Mobility Charges	291529.00	CFT MGNREGA Project	4147112.00
Office Rent	96000.00	Bank Interest	27587.00
Printing and Stationery	790.00	Consultancy Fee	13000.00
Travelling and Conveyance	1945.00	Donation in Kind (Fixed Assets)	51099.00
Meeting Expenses	15225.00		
Repair and Maintenance	19570.00	**By Receipts from FCRA Fund**	
Website Expenses	5000.00	Global Greengrants Fund (USA)	429387.00
Electricity Expenses	13400.00	Feminist Approach to Technology	547000.00
Postage and Telephone	1896.00	Society, New Delhi	
Map Digitization	50000.00	Interest on FCRA Fund	12680.00
Miscellaneous Expenses	5513.00	Society Contribution	2000.00
Provision for Audit Fee and Filing	18000.00		
Depreciation	65170.00	**By Receipts from SPWD**	
		Grant from SPWD	196008.00
To CFT MGNREGA Expenses		Bank Interest	6718.00
Capacity Building / Awareness	2112.00	Grant Receivable	1045206.00
Other Training & meetings	26882.00		
Implementation	143180.00		
Administrative Expenses	1075758.00		
To FCRA Expenses			
Awareness, Claim Generation and Facilitation on Forest Right Act	315413.00		
Young Women Leadership Program	724836.75		
To Excess of Income over Expenditure	102627.25		
	6491997.00		6491997.00

As per our Report of even date annexed herewith,
For Tulsyan Sapna & Company
Chartered Accountants
Proprietor
(Sapna Tulsyan)
Membership No. 402510

Place: Daltonganj
Date: 27th August, 2018

Multi Art Association

Reg.Off.: Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj

Mailing Address: Bhudhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj

CONSOLIDATED RECEIPT AND PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31/03/2018

Particulars	Amount (Rs.)	Particulars	Amount (Rs.)
To Opening Balance		**By Administrative Expenses**	
Cash in Hand		Honorarium	160000.00
General Programme	982.00	Staff Salary	3357150.00
Global Greengrants Fund	37.00	Mobility Charges	291529.00
Cheque in Hand	30000.00	Office Rent	29428.00
SBI, ADB - 30774140433		Printing and Stationery	790.00
Global Greengrants Fund	270399.00	Travelling and Conveyance	1945.00
Young Women Leadership Prog.	135233.00	Meeting Expenses	15225.00
General Fund	1367.00	Repair and Maintenance	19570.00
IDBI Bank - 1258102000018940	569533.00	Website Expenses	5000.00
SBI, ADB - CFT MGNREGA	52466.00	Electricity Expenses	13400.00
Advances - FCRA	12244.00	Postage and Telephone	1896.00
		Map Digitization	50000.00
To Receipts from:		Miscellaneous Expenses	5513.00
Monthly Subscription	4200.00	Audit Fee payable	5000.00
Donation	10000.00	Advance for Land	511000.00
CFT MGNREGA Project	4147112.00	Advances	23522.00
Bank Interest	27587.00		
Consultancy Fee	13000.00	**By CFT MGNREGA Project**	
		Capacity Building / Awareness	2112.00
To FCRA Grants received		Other Training & meetings	26882.00
Global Greengrants Fund (USA)	429387.00	Implementation	23180.00
Feminist Approach to Technology	547000.00	Administrative Expenses	187494.00
Society, New Delhi		Outstanding Expenses	750519.00
Interest on FCRA Fund	12680.00		
Society Contribution	2000.00	**By FCRA Programme Expenses**	
		Awareness, Claim Generation and Facilitation on Forest Right Act	317413.00
To CFT Project			
Grant from SPWD, Ranchi	196008.00	Young Women Leadership Program	661179.75
Grant Receivable	698064.00		
Bank Interest	6718.00	**By Fixed Assets**	
		Laptop and Tablets	60526.00
To Loans and Advances		Projector	24998.00
To Advance returned	93334.00	Printer and Accessories	19050.00
To Loan Taken	43489.00	Furniture and Fixtures	4680.00
To Donation in Kind	51099.00	Stabilizer	10200.00
Loan from Members (CFT)	46806.00	Battery	47700.00
		By Closing Balance	
		Cash in Hand	
		General Programme	202.00
		Global Greengrants Fund	863.00
		SBI, ADB - 30774140433	
		Global Greengrants Fund	389630.00
		Young Women Leadership Prog.	39694.25
		General Fund	1367.00
		IDBI Bank - 1258102000018940	331972.00
		SBI, ADB - CFT MGNREGA	9864.00
	7400694.00		7400694.00

As per our Report of even date annexed herewith,
For Tulsyan Sapna & Company
Chartered Accountants

Place: Daltonganj
Date: 27th August, 2018

Multi Art Association

Reg.Off.: Maa Bhawan, Panki Road, Redma, Daltonganj

Mailing Address: Bhudhandih, Near Bazar Samiti, Sudna, Daltonganj

Details of Fixed Assets and depreciation thereof for the year ended 31.03.2018

S.No.	Particulars	Rate	WDV as on 01.04.2017	Addition for 180 days or more	Addition for less than 180 days	Total	Depreciation	WDV as in 31.03.2018
1	Furniture & Fixtures	10%	84023.00	0.00	4680.00	88703.00	8636.00	80067.00
2	Camera	15%	77642.00	0.00	0.00	77642.00	11646.00	65996.00
3	Rocking Sprayer	15%	7172.00	0.00	0.00	7172.00	1076.00	6096.00
4	Laptop, Tablets	60%	30216.00	0.00	60526.00	90742.00	24192.00	66550.00
5	Printer & accessories	15%	21737.00	19050.00	0.00	40787.00	6118.00	34669.00
6	Battery	15%	12210.00	47700.00	0.00	59910.00	8987.00	50923.00
7	Stabilizer	15%	0.00	0.00	10200.00	10200.00	765.00	9435.00
8	Projector	15%	0.00	24998.00	0.00	24998.00	3750.00	21248.00
9	Computer	25%	84478.00	0.00	0.00	84478.00	21120.00	63358.00
10	Furniture (CFT)	10%	37678.00	0.00	0.00	37678.00	3768.00	33910.00
	Total		355156.00	91748.00	75406.00	522310.00	90058.00	432252.00